कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/स्थानान्तरण/2021 दिनांक 02.02.2021 द्वारा श्री हरिश चन्द अग्रवाल, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वलाड़ जिला अजमेर का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टॉडगढ जिला अजमेर किया गया था जिसके विरूद्ध श्री हरिश चन्द अग्रवाल द्वारा माननीय अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 1147/2021 हरिश चन्द अग्रवाल बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई ।

अपील संख्या 1147/2021 में माननीय अधिकरण के निर्णय दिनांक 16.02.2021 के परिपेक्ष्य में अपीलार्थी श्री हरिश चन्द अग्रवाल के अभ्यावेदन में पत्नी के कैंसर से पीड़ित होने को मद्देनजर रखते हुए राउमावि हिगोंनिया बुर्ज जिला टोंक/राउमावि धामाना जिला जयपुर/राउमावि इवारा जिला सवाईमाधोपुर/राउमावि धिकोलिया जिला टोंक में रिक्त पद पर किये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का माननीय अधिकरण के निर्णय एवं राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देश दिनांक 24.09.2019 जो कि पूर्व के समस्त दिशा–निर्देशों के अधिक्रमण (SUPERSESSION) में जारी किये गए हैं, के अनुसार माता–पिता/पति पत्नी/पुत्र–पुत्री अथवा अन्य परिजनों की रूग्णता के आधार पर अनुतोष देय नहीं है। अपीलार्थी द्वारा चाहे गए किसी भी विधालय में प्रधानाचार्य का पद वर्तमान समय में रिक्त नहीं है।

उक्तानुसार अपीलर्थी श्री हरिश चन्द अग्रवाल का अभ्यावेदन उपर्युक्त आधारों पर खारिज किया जाकर श्री अग्रवाल को निर्देशित किया जाता है कि वे विभागीय स्थानान्तरण आदेश दिनांक 02.02.2021 की अनुपालना में स्थानान्तरित विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, टॉडगढ जिला अजमेर में प्रधानाचार्य के पद पर तत्काल कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/हरिश/अपील/1147/21/217 **दिनांकः** 25/02/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, अजमेर संभाग, अजमेर ।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, अजमेर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक अजमेर ।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. श्री हरिश चन्द अग्रवाल, आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)